कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/ 2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् वंदना व्यास, व्याख्याता, जीव विज्ञान, राउमावि, झंवर, जोधपुर का स्थानांतरण राउमावि सादड़ी, लोहावट, जोधपुर किया गया । श्रीमती वंदना व्यास ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 15112/2019 वंदना व्यास बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.19 द्वारा याचिकार्थिया श्रीमती वंदना व्यास को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.10.19 के क्रम में याचिकार्थिया श्रीमती वंदना व्यास द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। जिसे इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/सी–1/ अभ्यावेदन/वंदना व्यास/को.के./19–20 दिनांक 01.11.2019 द्वारा खारिज कर निस्तारित किया गया।

याचिकार्थिया वंदना व्यास द्वारा पुनः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 16865/2019 वंदना व्यास बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई। जिसके क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.19 द्वारा याचिकार्थिया श्रीमती वंदना व्यास को पुनः एक नवीन अभ्यावेदन पेश करने तथा अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थिया श्रीमती वंदना व्यास द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के ह्रदय रोग से पीड़ित होने, स्वयं के ससुर के कोमा में होने के आधार पर अपना पदस्थापन जिला शिक्षा अधिकारी (मा0), जोधपुर अथवा राउमावि, झंवर, जोधपुर में यथावत की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थिया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। श्रीमती वंदना व्यास व्याख्याता, जीव विज्ञान के स्थान पर अन्य व्यक्ति का पदस्थापन हो जाने एवं उनके द्वारा कार्यग्रहण कर लेने के कारण पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में इनका समायोजन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) जोधपुर में व्याख्याता समकक्ष के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन/परिवेदना का निस्तारण किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवे।

23/01

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर
दिनांक:–24/01/2020

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/अभ्यावेदन/वंदना व्यास/को.के/19–20

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि सादड़ी, लोहावट, जोधपुर/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर।
9. कार्मिक वंदना व्यास, व्या0 जीव विज्ञान राउमावि सादड़ी, लोहावट, जोधपुर।
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

e:\c-4 letter file 21-08-19\court case cbh 2019\k-k transfer parivedna.docx